भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 153374

04 AUG 2023

(प्रारूप - "अ ")

सत्र 2023-24 में नव स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की कंपनी के निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप |

हम निदेशक **राजेश कुमार सिंह** एवं **सुनीता सिंह** कंपनी **कुंवर्स एजुकेशनल फाउंडेशन** क्रमशः निदेशक कंपनी का पता **5/592, विकास खण्ड, दयाल चौराहा के पास गोमती नगर लखनऊ –226010** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं |

1. यह कि हमारी कंपनी द्वारा **कुंवर्स कालेज ऑफ़ फार्मेसी** पता–ग्राम गणेशपुर-रहमानपुर, दयाल फर्म्स देवा रोड, **लखनऊ –226028** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी कंपनी कुंवर्स एजुकेशनल फाउंडेशन,पता ग्राम गणेशपुर-रहमानपुर, दयाल फर्म्स देवा रोड, लखनऊ –226028 में **गाटा संख्या394स0 1.012हेक्टेयरएवं189स0, 0.25 हेक्टेयर (कुल रकबा-1.262 हेक्टेयर)** भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

Sworn & Verified Before me

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaya
Adampur, Janub...

I Identify the deponent/Executant who has/have Signed/... before me

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या गाटा संख्या394स0 1.012हेक्टेयरएवं189स0, 0.25 हेक्टेयर (कुल रकबा-1.262 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव कंपनी की बैठक दिनांक11/04/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से [illegible] पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

NOTARY
Ambrish Kumar
Adv. & Notary
Tehsil Sadar, Lucknow
R.No. [illegible]
GOVT. OF U.P. INDIA

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

Sworn & Verified
Before Me
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Devi Ganj, Anaiya
Adampur, Janubi

11. [illegible] संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ [illegible] कर लिया जायेगा।

12. [illegible] शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

For Kunwars Educational Foundation

ह० निदेशक

Director

For Kunwars Educational Foundation

ह० निदेशक

Director

I know and identify the deponent who has signed/put T.I. before me